

भ्रज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

बनाम

लोहराम

मुकदमा

रण : 21-11-2020

मुकदमा नं. : 21 / 2020

हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुये

09/12/2020 :- वसुलाम उपर कसबली के फौत होने की सूचना वकील हाथी ने दी है। वहील हाथी का प्लान की कार्यवाही को इती प्रकार बजाया तलबी है। एउ ठीकाण-प्राण जो दिया जाना है। जितने पाना तलबी का प्लान कसबली ने, तलबी-असबली, 2 न 8 से 13 व जखाने प्राण 2, 4 10 न से दिगोडु: 23/12/2020 का एक है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
जायल, जिला नागौर

23/12/2020 :- पत्रावली एक हुई वहील हाथी उपर पत्रावली का बवलोजन किया। जितने पाना है पत्रावली में कसबलीगण से 3, 8 से 13 की तलबी से वहील हाथी के दिगोडु: 05/12/20 से पत्रावली लप दिया गया है। इती प्रकार कसबली से। उ फौत होने पर उमडे कापम की तलबी से वहील हाथी के लप दिया गया। प्रकार राजा धारा 25/1 उ तहत दर्ज है, जो उ सम्मरी होनेगि से तहत जाले है तथा इस प्रकार उ प्रकारो का निर्धारण लपम सीमा 90 फी में बापसुड होना है। जबकि प्रकार उ बवलोजन से हाथी का दिगोडु: 05/12/20 का इती किया गया तथा निर्धारण लपम सीमा से अधिक लपम केवल कसबलीगण की तलबी में अतीत से हुआ है इधर वहील हाथी कसबलीगण की तलबी करने का लफल रहे है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
जायल, जिला नागौर

इतः वहील हाथी द्वारा कृषाधीनता की  
 लगील कराने पाने में सफल रही रहना  
 वहील हाथी की धरमण कां काग-याने  
 की इच्छा सफर रही करता है। इतः  
 वहील हाथी को कृषाधीनता की तलकी  
 होय पमाणे इवम दिने पाने पर वही  
 लगील नही कराने पर धारण कर्तक-  
 9 निमम-5 की पी.पी. वि लक्ष इवम  
 लगील में खारिज किया जाता है। निमम  
 इवम नम्बर ले कम होकर शक्ति दलत  
 है।

**सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)  
 जायल जिला नागौर**